न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार,(स0मा0)

पीठासीन अधिकारी:– वर्षा मीना (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
23 / 2023	04.08.2023	29.04.2026

1. हरफूल पुत्र सुखदेवा बैरवा निवासी रावरा गणेश नगर तहसील खण्डार।
2. प्रभुलाल पुत्र सुखदेवा बैरवा निवासी रावरा गणेश नगर तहसील खण्डार।
3. नवलकिशोर पुत्र स्व. मांगीलाल बैरवा निवासी रावरा गणेश नगर तहसील खण्डार।
4. चुन्नीलाल पुत्र स्व मांगीलाल बैरवा निवासी रावरा गणेश नगर तहसील खण्डार।
5. काडी देवी पत्नि स्व. मांगीलाल बैरवा निवासी रावरा गणेश नगर तहसील खण्डार।
6. चमेली पुत्री स्व. मांगीलाल बैरवा निवासी गंगानगर नगर तहसील खण्डार।
7. शिमला पुत्री स्व. मांगीलाल बैरवा निवासी रावरा गणेश नगर तहसील खण्डार।
8. शकुन्तला पुत्र स्व. मांगीलाल बैरवा निवासी रावरा गणेश नगर तहसील खण्डार।

प्रार्थी

बनाम

1. कन्हैया पुत्र बद्री लाल जाति खटीक निवासी खण्डार तहसील खण्डार।
2. सरकार लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील खण्डार।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

श्री हरिलाल बैरवा अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से

श्री हनुमान प्रसाद चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से

निर्णय

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

- यह कि उनवानी वादपत्र श्रीमान् न्यायालय में पेश कर दिया है जिसमें सफलता की पूरी पूरी उम्मीद प्रार्थीगण को है,
- यह कि प्रार्थीगण एक ही परिवार के शांन्तिप्रिय कास्तगारी पेशा व्यक्ति हैं अप्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 खण्डार का निवासी है एवं झगड़ालू प्रवृति का व्यक्ति है।
- यह कि प्रार्थीगण एवं सोनिला पूर्णिमा पुत्रीयान नागा, शान्ति पत्नि नागा की पैत्रक आराजी खसरा नम्बर 120 रकबा 2.010 विद्या खसरा नम्बर 233 रकबा 1.10 विद्या गॉव रावरा तहसील खण्डार में स्थित है जो वादी गण की पैत्रक आराजी है खसरा नम्बर 120 के पूर्व में आम रास्ता के बाद कैलाश मनोहर का खेत पश्चिम में खण्डार सवाई माधोपुर रोड़, उत्तर में रतनलाल ओमप्रकाश निवासी रावरा व अन्य के खेत दक्षिण में राजू लाल, मदन लाल, सुरेश निवासी रावरा व अन्य के खेत स्थित है । एवं खसरा नम्बर 120 में लगभग 60 वर्ष कुआ खुदवाया जो वर्तमान में चालू अवस्था में मौजूद है जिसका उपयोग सिंचाई एवं पानी पी[illegible] कर रहे है। उक्त पत्रक आराजी का प्रार्थीगण स्व०मांगीलाल, [illegible] तीनो भाई थे एवं नागा की बीच वाहमी बटवारा लगभग 40 वर्ष पूर्व [illegible] लगभग 40 वर्ष पूर्व वाहमी बटवारे के हिसाब से खसरा नम्बर 233 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा मे से 1/2 [illegible] पूर्व दिशा के तरफ का व खसरा नम्बर 120 में से 1/2 पूर्व दिशा की तरफ का हिस्सा आम रास्ते की तरफ का हिस्सा प्रार्थीगण मांगीलाल हरफूल प्रभूलाल के हिस्से आया व शेष हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते खण्डार (स० मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.05.18 11:20:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

खसरा नम्बर 120 में सड़क सवाई माधोपुर खण्डार के सहारे प्रार्थीगण के पश्चिम की ओर से शेष सम्पूर्ण हिस्सा नागा के हिस्से आया दोनो पक्षो ने बाहमी बटवारे के अनुसार काश्त की नागा की मृत्यु के बाद नागा की नाबालिग पुत्रीया थी एवं शान्ति बेवा थी नागा की सेवासुश्रुषा एवं समस्त अंतिम क्रिया करम प्रार्थीगण हरफूल, प्रभूलाल व मांगीलाल ने किया तो शान्ति ने उसके हिस्से की जमीन भी मौखिक रूप से वादी गण को विक्रय कर दी एवं शान्ति दूसरी जगह नाते चली गई जिसका लगभग 30 वर्ष पूर्व से कोई अतापता नही है एवं नागा की पुत्री पूर्णिमा व सोनिला का भी कोई अता पता नही है।

- यह कि प्रार्थी हरफूल, प्रभूलाल व उनके भाई मांगीलाल जो प्रार्थीगण 3,4,6,7,8 का पिता हैं कि खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 120 रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा खसरा नम्बर 233 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा बांके ग्राम सावरा में स्थित हैं। तथा उक्त भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिसका हमने पारिवारिक सेटलमेन्ट के हिसाब से मौके पर बटवारा कर रखा है तथा मौके पर वारिवारिक सेटलमेन्ट के हिसाब से कब्जा कास्त करते चले आ रहे है । तथा उक्त भूमि में से प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की भूमि में से करीब 16 वर्ष पूर्व अप्रार्थी कन्हैया पुत्र बदरी लाल जाति खटीक निवासी खण्डार को 1 बीघा 10 विस्वा भूमि जरिये विक्रय पत्र विक्रय प्रार्थीगण मॉगीलाल हरफूल प्रभू लाल पिस सुखदेव बैरवा ने करवाया था इसी समय तीनो प्रार्थीगणों ने अपने पारिवारिक बॅटवारे के हिसाब से खसरा नम्बर 233 को प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में था। उसी खसरा नम्बर 233 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि का कब्जा अप्रार्थी कन्हैया पुत्र बद्री लाल जाति खटीक को सम्भाला दिया था। तथा तभी से आज तक अप्रार्थी उक्त भूमि खसरा नम्बर 233 को 16 वर्ष से निर्विवाद रूप से काश्त करता चला आ रहा है तथा शेष भूमि खसरा नम्बर 120 रकबा 2 बीघा 01 विस्वा पर प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के परिवार जनो का कब्जा काश्त है। जिस पर प्रार्थीगण अपने जीवन काल से निर्विवाद रूप से काश्त करते चले आ रहे है। तथा प्रार्थीगण व परिवारजनों ने उक्त भूमि खसरा नम्बर 120 रकबा 2 बीघा 01 विस्वा पर करीब 3–4 वर्ष से बिना किसी विवाद के तारबन्दी करवा कर जाल लगा रखा है। अब उक्त भूमि खण्डार सवाई माधोपुर रोड़ के सहारे आने से कीमती हो गई । इसलिए अप्रार्थी कन्हैया पुत्र बद्री लाल खटीक के मन में बदयान्ति आ गई है और आज से करीब 5–10 दिन पूर्व मौके पर कोई विवाद नही होने पर अप्रार्थी ने एक झूठा परिवाद थाने में दिया जबकि मौके पर कोई विवाद 5–10 दिन पूर्व नही हुआ । और दिनांक 23.07.2023 को समय करीब 5:00 बजे अप्रार्थीगण कन्हैया पुत्र बद्री लाल, गोविन्द पुत्र कन्हैया,पंकज पुत्र कन्हैया व 4–5 लोगों को लेकर प्रार्थीगण की कब्जे काश्त आराजीयात खसरा नम्बर 120 पर आये और प्रार्थीगण के द्वारा लगाये गये जाल को तोड़ने लगे और प्रार्थी व परिवारजन से धमकी देने तथा गन्दी गन्दी गालियाँ निकालने लगे तब प्रार्थी ने हाथ जोड़ कर कहा की भाई तेरे को हमने 16 वर्ष पूर्व 1.10बीघा का विक्रय किया था जिसका कब्जा उसी समय खसरा नम्बर 233 पर सम्भाला दिया है इसलिए इस भूमि से आपका कोई लेना देना नही है। तो अप्रार्थीगण नाराज हो गये और प्रार्थी को जान से मारने की धमकी दी कि 3 दिन में इस खेत पर लगे हुये जाल को हटा लन[illegible]हारे हाथ पैर काट देगे तथा मौके से ऊठार ले जायेगे यह धमकी [illegible] के हिस्से कब्जे कास्त की भूमि पर जबरन अतिक्रमण करना चाहता है जबकि [illegible] ने पहले ही आज से लगभग 16 वर्ष पूर्व ही स्वेच्छा से बटवारा किया एवं खसरा नम्बर 233 के सम्पूर्ण रकबे पर काविज हो गया एवं लगातार कास्त करता आ रहा है प्र[illegible]गण का खसरा नम्बर 120 पर लगभग 16 वर्षो से कब्जा कास्त है सोनिला पूर्णिमा शान्ति का कही अतापता नही है एवं वे

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.05.18 11:20:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

उपखण्ड अधिकारी खण्डार (स० मा०) सत्यमेव जयते

वादी गण को अपनी हिस्से की जमीन समला चुकी है इस प्रकार एडवर्स पंजेसन मौखिक बटवारे 16 वर्षो से निर्वाद रूप से कब्जा कास्त होने है वादी गण खसरा नम्बर 120 की सम्पूर्ण आराजी को अपने नाम करवाने कब्जे कास्त करने के अधिकारी है अप्रार्थी कास्त नही करने दे रहा हे एवं वादी गण द्वारा लगाये गये जाल को हटा कर झूटी रिपोर्ट का भय दिखाकर जान से मारने की धमकी का भय दिखाकर वादी गण के हिस्से पर कब्जा करना चाहता है जिसका अप्रार्थी को काई हक अधिकार नही है अब मात्र वादी गण के पास यही विकल्प है की श्रीमान् न्यायालय की शरण लेकर अप्रार्थी को पाबन्द करने यही करण है कि प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी आया ।

- अप्रार्थी द्वार दिनांक 23.07.2023 को काश्त नहीं करने देने जाल तोड़ने हाथ पैर तोड़नें व जान से मारने की धमकी देने से वाद कारण अन्दर अधिकार क्षेत्र न्यायालय हाजा उत्पन्न हुआ है।
- यह कि प्रथम द्रष्टा मामला सुख सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में बखूबी सिद्ध है।
- यह कि प्राइमा फेसाई केस एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है।
- यह कि प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा की सुनवाई का श्रीमान न्यायालय को पूरा–पूरा अधिकार प्राप्त है।
- अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा०का अधि० पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थी कन्हैया को इस कदर अस्थाई निषधेज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे की मौखिक बटवारे एडवर्स पजेसन व सोनिला, पूर्णिमा, शांति द्वारा अपना हिस्सा त्यागने बेचान करने से खसरा नम्बर 120 स्थित रावरा की भूमि पर सम्पूर्ण हिस्से पर प्रार्थीगण कास्त कर रहे है वादी गण के कब्जे कास्त में बाधा पेदा नही करे ना ही प्रतिवादी/अप्रार्थी दीगर व्यक्ति से बाधा उत्पन्न करावे उक्त खसरा नम्बर को रहन व बेचान नही करे अप्रार्थी को ता फैसला दावा पाबन्द फरमाया जावे ।

2. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को कार्यालय रिपोर्ट उपरान्त दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र मय काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर विशेष विवरण में अंकित किया गया है कि

- यह कि मुझ अप्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 120 रकबा 2 वीघा 1 विस्वा, खसरा नम्बर 233 रकबा 1 वीघा 10 विस्वा बॉके ग्राम रॉवरा में स्थित है। नकल जमाबन्दी, खसरा गिरदावरी, नक्शाटेस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।
- यह कि खसरा नम्बर 120 में से पूर्व दिशा आम रास्ते की तरफ का सोनिला, पूर्णिया के पिता एवं शान्ति के पति नागा के हिस्से में आया तथा पश्चिम दिशा का खण्डार सवाईमाधोपुर रोड केसहारे का प्रार्थीगण के हिस्से में आया था। जिसमें से प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 120 में से 15 विस्वा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को बेचान कर कब्जा सम्भला दिया। इस प्रकार खण्डार सवाई माधोपुर रोड के सहारे स्थित मुझ अप्रार्थी संख्या 1 की 15 विस्वा भूमि पर मुझ अप्रार्थी संख्या 1 काबिज काश्त होकर अपने उपयोग व उपभोग में लेता चला आ रहा है। इस प्रकार मुझ अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कब्जे काश्त की 15 विस्वा भूमि के चारों तरफ मुझ अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा

उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते खण्डार (स० मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.05.18 11:20:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

सीमेन्ट एवं लोहे के खम्भे गाड कर तारफेन्सिग करवा रखी है, जो मुझ अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कब्जे काश्त में चली आ रही है, तथा प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 233 में से 15 बिस्वा भूमि बॉके ग्राम रॉवरा को भी मुझ अप्रार्थी संख्या 1 को –बेचान कर मुझ अप्रार्थी संख्या 1 को कब्जा सम्भला दिया, जो अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कब्जे काश्त में चली आ रही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है, जो खारिज फरमाया जावे।

- यह कि खसरा नम्बर 120 में से हिस्सा 1/2 भाग भूमि पूर्व दिशा आम रास्ते की तरफ का सोनिला, पूर्णिया के पिता एवं शान्ति के पति नागा के हिस्से में आया तथा पश्चिम दिशा का हिस्सा खण्डार सवाईमाधोपुर रोड के सहारे का प्रार्थीगण के हिस्से का था। जिसमें से प्रार्थीगण द्वारा मुझ अप्रार्थी संख्या 1 को 15 बिस्वाभूमि को बेचान कर कब्जा सम्भला दिया गया। इस प्रकार खण्डार सवाई माधोपुर रोड के सहारे स्थित 15 बिस्वा भूमि पर मिन उत्तरदाता अप्रार्थी संख्या 1 काबिज काश्त खण्डार सवाई माधोपुर रोड पर स्थित है। जिसके चारों तरफ मुझ अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सीमेन्ट व लोहे के खम्भे गाड कर तारफेन्सिग करवा रखी है, जो मुझ अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कब्जे काश्त में चली आ रही है। इस प्रकार उक्त विवादित खण्डार स.मा. रोड के सहारे स्थित 15 बिस्वा भूमि से प्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध वास्ता नहीं है। मुझ अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खण्डार स. मा. रोड सहारे स्थित सीमेन्टेड / लोहे के खम्भे गड़े होने व चारों तरफ तार फेन्सिग होने से व उक्त भूमि की कीमत बढ़ जाने के कारण उक्त भूमि को मुझ अप्रार्थी संख्या 1 से हड़पने की गरज से प्रार्थीगण द्वारा यह झूठा निराधार, मनगढन्त प्रार्थना पत्र पेश किया है, जिसकी कोई सत्यता नहीं है। इसलिए मुझ अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की नकल दिनांक 31.10.2023 को लेकर पढने / पढाने पर मुझ अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर मुझ अप्रार्थी संख्या 1 की खण्डार स.मा. रोड सहारे स्थित 15 बिस्वा भूमि का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी, नक्शाटेस इत्यादि में बँटवारा कराकर अलग अलग खातेदारी में दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्ती करवाया जावे, तथा नक्शाटेस में भी दुरूस्ती करवाई जावे तथा प्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थीगण मुझ अप्रार्थी संख्या 1 की खसरा नम्बर 120 में से खण्डार स.मा. रोड सहारे स्थित 15 बिस्वा भूमि के मुझ अप्रार्थी संख्या 1 के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की बाधा ना तो प्रार्थीगण स्वयं उत्पन्न करे और ना ही किसी अन्य से करावे । यही कारण है कि मुझ अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी आया ।
- यह कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में खसरा नम्बर 120, खसरा नम्बर 233 के खातेदार सोनिला, पूर्णिया पुत्रीयान नागा एवं शान्ति बेवा नागा को पक्षकार नहीं बनाया, जो कि उक्त विवादित भूमि के सह खातेदार होने से आवश्यक पक्षकार है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पक्षकारों के असंयोजन के दोष से ग्रसित होने के कारण श्रीमान् न्यायालय में चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है, जो खारिज फरमाया जावे।
- यह कि प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में [illegible] खातेदार सोनिला, पूर्णिया पुत्रीयान नागा, शान्ति बेवा नागा को [illegible] न्यायालय से उद्घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती, तकासमा इत्यादि रिलीफ चाही है, जबकि प्रार्थना पत्र में सह खातेदार व्यक्ति को पक्षकार बनाये बिना एवं सह खातेदार [illegible]क्ति को पक्षकार बनायेबिना प्रार्थीगण का

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.05.18 11:20:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय में चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है, जो खारिज फरमाया जावे ।

- यह कि विनाय जबाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर टी.आई. प्रार्थना पत्र मुझ अप्रार्थी संख्या 1 को दिनांक 31.10.2023 को प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की नकल पढने / पढवाने पर उत्पन्न हुआ ।
- यह कि प्राईमा फेसाई केस व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में भली भाँति साबित है।
- यह कि यह कि प्रथम दृष्टया मामला व सुख सुविधा का संतुलन अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में भली भाँति सिद्ध है ।
- अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर टी.आई. प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जाकर मुझ अप्रार्थी संख्या 1 का काउन्टर टी.आई. प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर निवेदन है कि मुझ अप्रार्थी संख्या 1 का काउन्टर टी.आई. प्रार्थना पत्र विरूद्ध प्रार्थीगणस्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला काउन्टर क्लेम (दावा) प्रार्थीगण को इस आशय अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि खण्डार सवाई माधोपुर रोड के सहारे स्थित तार फेन्सिगशुदा अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 120 रकबा 2 वीघा 1 विस्वा में से 15 विस्वा, खसरा नम्बर 233 रकबा 1 वीघा 10 विस्वा में से 15 विस्वा भूमि स्थित बॉकेग्राम रॉवरा के मुझ प्रतिवादी संख्या 1 के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त उपयोग व उपभोग में प्रार्थीगण किसी भी प्रकार की बाधा ना तो स्वयं उत्पन्न करे और ना ही किसी अन्य से करावे । और ना ही प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त आराजी से बेदखल करे ना ही काश्त करने से रोके।

3. प्रार्थी द्वारा जवाबुल जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जिसके विशेष विवरण में अंकित किया गया है कि

- प्रार्थी हरफूल व उसके भाई मांगीलाल प्रभुलाल नागा के मध्य बंटवारा हुआ उसी अनुसार प्रार्थी खसरा नम्बर 120 के पूर्व हिस्से पर काबिज थे खसरा नम्बर 233 के पश्चिम हिस्से पर काबिज थे अप्रार्थी कन्हैया को प्रार्थीगण ने स्वयं के हिस्से आए हिस्से का बेचान किया कब्जा संभलाया परन्तु अप्रार्थी ने कहा कि मै तो कुल 1 बीघा 10 विस्वा भूमि खसरा नम्बर 233 में से ही लूगां इसी प्रकार अप्रार्थी कन्हैया काबिज है खसरा नम्बर 120 में कुऑ प्रार्थी हरफूल उसके भाई मांगीलाल, प्रभु लाल व नागा ने खुदवाया व वर्तमान में भी कुआँ स्थित है रजिस्ट्री मांगीलाल बहक कन्हैया 18.07.2007 मे स्पष्ट अंकन है कि विक्रय किया गया हिस्सा सड़क से लगभग दूर है विक्रय किये गए हिस्से में कोई चाह फलदार वृक्ष नही है वाणिज्यिक उपयोगी नही है इस प्रकार रजिस्ट्रर विक्रय पत्र से स्पष्ट है कि अप्रार्थी कन्हैया को 120 खसरा नम्बर का पूर्व का हिस्सा बेचान किया गया है।
- अप्रार्थीगण ने मनगढ़त कहानी रची– [illegible] अपने काउन्टर प्रार्थना पत्र जबाब मे बताया की खम्भे गाढ़ रखे है तारफेन्सि[illegible] कर रखी है जबकी उक्त खम्भे प्रार्थीगण ने गढ़वाए तारफेन्सिग प्रार्थी[illegible] करने वाले खम्भे गाढ़ने वाले, इन्गल लगाने वाले राजू पुत्र [illegible] पुत्र रामकल्याण, दीपक पुत्र रामदयाल, दिनेश पुत्र घन्शीलाल जातियान बैरवा निव[illegible] रावरा है जिसमें कुल खर्चा 61,615 रूपये

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.05.18 11:20:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

उपखण्ड अधिकारी खण्डार (स॰ मा॰) सत्यमेव जयते

आया जो प्रार्थीगण ने दिया 2007 से 14.05.2023 तक कोई विवाद नही रहा शान्तिपूर्वक निर्विवाद रूप से प्रार्थीगण ने कास्त कि व करवाई ।

- प्रार्थीगण व नागा के मध्य मौखिक बँटवारा गाँव के पंचो के मध्य हुआ है। जिनके नाम ओमप्रकाश, हजारी, बाबू, रामस्वरूप, प्रेम देवी हंसराज, प्रभु लाल है।
- बेचान नामा किया उसी समय क्रेता ने अपनी मर्जी से खसरा नम्बर 120 स्थित सावरा मे से छोडकर ख. नं. 233 सावरा मे 1 बीघा 10 बिस्वा पर काबिज होना स्वीकार किया ।
- सन् 2008 से लेकर 2018 तक प्रार्थीगण ने रामजीलाल बैरवा सावरा से साझे बांटे पर कास्त करवाई 2008 में 10,150 रूपये, 2009 में 4400 रूपये, 2010 में 6376 रूपये, 2011 में 6750 रूपये, 2012 में 7736 रूपये, 2013 में 10,500 रूपये, 2014 में 7380 रूपये, 2015 में 8208 रूपये, 2016 में 5520 रूपये, 2017 में 6276 रूपये, 2018 में 5980 रूपये व 2020 से ओमप्रकाश को कादाई दिया 4000 रूपये मे 2021 से 2024 तक लेखराज को साझा दिया, 8950 रूपये 2021, 2022 में 9090 रूपये, 2023 में 6000 रूपये, 2024 में 6690 रूपये प्राप्त किए और जो प्रार्थी हरफूल की दैनिक डायरी में अंकित है।

4. उभयपक्ष बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए तर्क किया की खसरा नंबर 120 पर क़ब्ज़े के समर्थन में उनके द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किए गये है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को पाबंद किया जाये। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि प्रार्थीगण के नाम खसरा नंबर 120 में केवल 5 बिस्वा भूमि है इसलिए वह अप्रार्थी को संपूर्ण आराजी पर पाबंद करवाने के अधिकारी नहीं है। उनके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों को राजस्व अभिलेख के ऊपर नहीं माना जा सकता है। प्रकरण में सभी सह खातेदारों को भी पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए प्रार्थना पत्र ख़ारिज योग्य है।

5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण का कथन है की खसरा नंबर 120 एवं 233 उनकी पैतृक आराजी है जिसका लगभग 40 वर्ष पूर्व बहामी बटवारे के हिसाब से खसरा नंबर 233 रक़बा 1 बीघा 10 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा पूर्व दिशा की तरफ़ का व खसरा नंबर 120 रक़बा 2 बीघा 1 बिस्वा में से 1/2 पूर्व दिशा की तरफ का हिस्सा प्रार्थीगण के हिस्से में आया व शेष हिस्सा खसरा नंबर 120 में हिस्सा नागा के हिस्से आया एवं उक्त भूमि में से अपने हिस्से की भूमि में से क़रीब 16 वर्ष पूर्व अप्रार्थी कन्हैया को 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि ज़रिए विक्रय पत्र प्रार्थीगण मांगीलाल, हरफुल प्रभु लाल पिसरान सुखदेव ने करवाया था। प्रार्थीगण ने स्वयं 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को क्रय किया जाना स्वीकार किया है परंतु उक्त समस्त कब्जा खसरा नंबर 233 पर सँभलाये जाने का तर्क किया है। प्रार्थीगण के यह कथन प्रस्तुत रिकॉर्ड से प्रथम दृष्टया सिद्ध नहीं होते है। पत्रावली में प्रस्तुत जामबंदी संवत् 2075–78 का अवलोकन किया जिसके अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 कन्हैया खसरा नंबर 120 में 30/82 हिस्से का व खसरा नंबर 233 में 1/2 हिस्से का सहखातेदार है। खसरा नंबर 120 में शेष 1/2 हिस्सा मुताबिक़ जामबं[illegible]ा व शांति बेवा नागा के नाम दर्ज है। प्रार्थी का तर्क है कि शांति बेवा न[illegible]खिक रूप से अपना हिस्सा वादी गण को विक्रय कर दिया था। इस कथन के समर्थन में [illegible]टया कोई भी दस्तावेज या साक्ष्य प्रार्थी ने न्यायलय के स[illegible] है और न ही उन्हें प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.05.18 11:20:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

उपखण्ड अधिकारी खण्डार (स० मा०) सत्यमेव जयते

प्रार्थीगण द्वारा खसरा नंबर 120 के संपूर्ण हिस्से पर अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने का अनुतोष चाहा है। खसरा नंबर 120 पर अपना कब्जा सिद्ध करने हेतु प्रार्थीगण द्वारा कुछ व्यक्तियों के शपथ पत्र प्रस्तुत किए है जिसमे अंकित किया गया है कि हरफुल, प्रभुलाल, स्व. मांगीलाल के बच्चो के खेत खसरा नंबर 120 में खम्बे गाडने, गड्ढे खोदने, तारफेंसिंग करने की मजदूरी प्राप्त की। लेकिन खसरा नंबर 120 राजस्व अभिलेख अनुसार संयुक्त खातेदारी कि भूमि है। उक्त शपथ पत्र से केवल यह माना जा सकता है कि प्रार्थीगण का खसरा नंबर 120 में कब्जा है। इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 का खसरा नंबर 120 में हिस्सा व कब्जा नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 मुताबिक रिकॉर्ड खसरा नंबर 233 व 120 दोनों में सह खातेदार है एवं खसरा नंबर 120 में मुताबिक रिकॉर्ड प्रार्थीगण का केवल 11/82 हिस्सा ही दर्ज है। प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

6. अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने काउंटर टी.आई. प्रार्थना पत्र के विशेष विवरण की बिंदु संख्या 6 में अंकित किया है कि विनय जवाब प्रार्थना पत्र मय काउंटर टी.आई. प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 को दिनांक 31.10.2023 को प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की नकल पढ़ने पर उत्पन्न हुआ। न्यायालय में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करना एक विधिक कार्यवाही है इससे यह सिद्ध नहीं होता की प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के किसी अधिकार को नष्ट किया जा रहा या क्षति पहुँचायी जा रही है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अन्य ऐसा कोई कथन अंकित नहीं किया है जिससे विवादित आराजी के दुर्व्ययन करने या संक्रान्त करने का खतरा सिद्ध हो। धारा 212 के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु उक्त पूर्व शर्तो का होना आवश्यक है जिसको सिद्ध करने में अप्रार्थी संख्या 1 असफल रहे इसलिए उनका काउंटर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

परिणामस्वरूप प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी का काउन्टर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 29.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में लिखाया जाकर, सुनाया गया ।

(वर्षा मीना)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स.मा.)

उपखण्ड अधिकारी ❁ खण्डार (स.मा.) ❁ सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.05.18 11:20:19 IST
Reason: SelfAttested